SCDS (राज्य बाँध सुरक्षा समिति) की 7वीं बैठक जो दिनांक-20.02.2026 को Offline/Online mode में आहूत की गई जिसमें राज्य अंतर्गत निर्दिष्ट बाँधों से संबंधित सभी मुख्य अभियंताओं के साथ-साथ विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। जिनकी सूची निम्नवत् है :-

उपस्थिति:-

1. श्री अवधेश कुमार, अध्यक्ष, राज्य बाँध सुरक्षा समिति, बिहार, पटना।
2. श्री ब्रजेश मोहन, अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
3. महमूद आलम, प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना -सह- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना।
4. मो0 सोहेल अहमद अंसारी, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर।
5. श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालंदा, बिहारशरीफ।
6. श्री मनोज कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, पटना।
7. श्री विजय कुमार, निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना।
8. श्री अवधेश कुमार सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-4, पटना।
9. श्री पूर्णेदु कुमार, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना।
10. मो0 जकाउल्लाह, संयुक्त निदेशक, जल विज्ञान निदेशालय, अनिसाबाद, पटना।
11. श्रीमती अमिता सिंह, संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना।
12. श्रीमती प्रतिभा कुमारी, उप-निदेशक-1, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना।
13. श्रीमती मौलिश्री, उप-निदेशक-3, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना।
14. सुश्री अंजुला कुमारी, सहायक निदेशक (यांत्रिक), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना।
15. सुश्री ब्युटी कुमारी, सहायक निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना।
16. श्रीमती प्रियंका कुमारी, सहायक निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सदस्यगण :-

1. मो0 परवेज अख्तर, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, गया।
2. श्री सुनील कुमार, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना।
3. श्री सदय कुमार सिन्हा, सरकार के अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री अर्पिता उपाध्याय, निदेशक, जल विद्युत मूल्यांकन प्रभाग (HPAD), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली, (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नामित)।
5. श्री संदीप कुमार, निदेशक, मोनिटरिंग, केन्द्रीय जल आयोग, पटना, बिहार (केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा नामित)।
6. डा0 ओम प्रकाश, सहायक प्राध्यापक, पर्यावरण एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आई0आई0टी0, पटना।
7. श्री रामाकर झा, प्राध्यापक, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एन0 आई0 टी0, पटना।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष, राज्य बाँध सुरक्षा समिति, बिहार, पटना द्वारा करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात् उक्त बैठक की एजेण्डाओं का प्रस्तुतीकरण प्रभारी प्रमुख एवं निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा दी गई। जिसमें बैठक से संबंधित विभिन्न एजेण्डाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

AGENDA –1: Confirmation of the proceedings of 6th meeting of SCDS, Patna

प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा सभी सदस्यगण से राज्य बाँध सुरक्षा समिति की छठी बैठक की कार्यवाही पर चर्चा कर संपुष्टि प्राप्त की गई।

AGENDA–2: Compliance of proceedings of 6th meeting of SCDS, Patna.

सर्वप्रथम निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बिहार राज्य अवस्थित निर्दिष्ट बाँधों के संबंध में संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया गया कि राज्य में कुल 34 अद्द निर्दिष्ट बाँध (30 डैम एवं 04 बराज) है। जिसमें से एक डैम (कुण्डघाट डैम) एवं एक बराज (पुनपुन बराज) निर्माणाधीन है।

प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा राज्य बाँध सुरक्षा समिति की छठी बैठक में दिये गये निर्णय/दिशा-निर्देश के अनुपालन की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत है :-

2.1 सभी निर्दिष्ट बाँधों का प्री-मॉनसून निरीक्षण बाँध सुरक्षा इकाई (DSU) द्वारा ससमय पूरा कर लिया गया है एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को DHARMA Portal पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा करते हुए इसे NDSA, नई दिल्ली को अग्रसारित कर दी गई है।

2.2 बिहार अवस्थित सभी निर्मित 32 निर्दिष्ट बाँधों (कुण्डघाट डैम एवं पुनपुन बराज निर्माणाधीन को छोड़कर) का Rapid Risk Assessment हेतु बाँध सुरक्षा इकाई द्वारा राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना के देख-रेख में वेब आधारित RRSSD-Tool में आवश्यक प्रविष्टियाँ करते हुए NDSA, नई दिल्ली को अग्रसारित कर दी गई है।

2.3 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य बाँध सुरक्षा संगठन की गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त से संबंधित सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक-प्र0वि0स0-15/2024-3838/वि0स0, दिनांक-18.12.2025 एवं बिहार विधान परिषद् सचिवालय का पत्रांक-वि.प.वि.-72/2024-1276(3)/वि.प., दिनांक-10.12.2025 से प्राप्त करायी गयी है। साथ ही इसे पब्लिक डोमेन में प्रसारित करने निमित्त विभागीय Web Site पर अपलोड की गई है।

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2024-25) को राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना का पत्रांक-901, दिनांक-05.12.2025 से संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार सरकार, सरदार पटेल भवन, पटना, बिहार) को भी उपलब्ध करा दी गई है।

2.4 बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 38(1) में अंतर्निहित्त पाँच वर्षो के समय-सीमा अंतर्गत ही सभी निर्दिष्ट बाँधों का व्यापक बाँध सुरक्षा मूल्यांकन करा लेना आवश्यक है। इसी क्रम में बिहार राज्य अवस्थित 32 अदद् निमित्त निर्दिष्ट बाँधों में से 10 अदद् डैम/बराज (1. खड़गपुर लेक डैम, 2. कोशी बराज, 3. गंडक बराज, 4. कोहिरा डैम, 5. दुर्गावती डैम, 6. सोन बराज, 7. बदुआ डैम, 8. चंदन डैम, 9. अपर किऊल डैम एवं 10. सतघरवा डैम) का CDSE Dam Safety Review Panel द्वारा कराया जा चुका है।

2.5 निर्दिष्ट बाँधों (डैम एवं बराज) के रख-रखाव और मरम्मत के लिये तथा राज्य बाँध सुरक्षा संगठन की सिफारिशों को लागू करने के लिये जल संसाधन विभाग द्वारा पृथक शीर्ष के रूप में मुख्य शीर्ष-2700 (मुख्य सिंचाई), उप मुख्य शीर्ष-04 (सिंचाई परियोजनाएँ, वाणिज्यिक), लघुशीर्ष-101 (रख-रखाव और मरम्मत) एवं उपशीर्ष-0004 (बाँधों का रख-रखाव एवं मरम्मत) और विपत्र कोड

संख्या 49-2700-04-101-0004 का सृजन किया जा चुका है। उक्त के अनुपालन में निर्दिष्ट बाँधों (डैम एवं बराज) में की जाने वाली आवश्यक मरम्मति/सम्पोषण/रख-रखाव से संबंधित कार्य हेतु शीर्ष 49-2700-04-101-0004 के अन्तर्गत कार्य कराने का निदेश दिया जाता है।

(अनुपालन :-अधीक्षण अभियंता योजना एवं मोनिंटरिंग अंचल-3, पटना, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/नालन्दा बिहारशरीफ/गया/डिहरी/औरंगाबाद, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/वीरपुर, मुख्य अभियंता, यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, पटना)।

AGENDA–3:- SCDS की 7वीं मॉनसून पश्चात् बैठक की कार्रवाई

3.1 प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि बाँध सुरक्षा इकाई एवं राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा संयुक्त रूप से राज्य अवस्थित निर्मित सभी 32 निर्दिष्ट बाँधों (कुण्डघाट डैम एवं पुनपुन बराज निर्माणाधीन को छोड़कर) का पोस्ट-मॉनसून निरीक्षण 30 नवंबर 2025 तक पूर्ण किया जा चुका है। उक्त से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन को बाँध सुरक्षा इकाई द्वारा DHARMA पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है। तत्पश्चात् उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा करते हुए इसे NDSA, नई दिल्ली को अग्रसारित कर दी गई है। तत्पश्चात् समीक्षा के क्रम में बाँधो के सुरक्षार्थ डैम/बराजों में की जाने वाली आवश्यक उपचारी सुझाव संबंधित मुख्य अभियंताओं को प्राप्त करा दी गई है। उक्त उपचारी सुझाव के आलोक में संबंधित मुख्य अभियंता को प्राक्कलन तैयार कर संबंधित मोनिटरिंग को शीघ्र समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही मुख्य अभियंता से प्राप्त प्राक्कलन पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु संबंधित मोनिटरिंग को भी निदेशित किया गया। निदेश है कि संबंधित मुख्य अभियंता राज्य बाँध सुरक्षा संगठन द्वारा बाँधों के सुरक्षार्थ दिये गए उपचारी सुझाव के अनुरूप यथाशीघ्र प्राक्कलन तैयार कर संबंधित मोनिटरिंग को उपलब्ध करायेंगे एवं संबंधित मोनिटरिंग द्वारा इसे शीघ्रातिशीघ्र अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्य को संपादित कराना चाहेंगे।

(अनुपालन :-मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/नालन्दा बिहारशरीफ/गया/डिहरी, मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/वीरपुर, मुख्य अभियंता, यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, पटना)।

3.2 प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य बाँध सुरक्षा संगठन की गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त से संबंधित सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक-प्र0वि0स0-15/2024-3838/वि0स0, दिनांक-18.12.2025 एवं बिहार विधान परिषद् सचिवालय का पत्रांक-वि.प.वि.-72/2024-1276(3)/ वि.प., दिनांक-10.12.2025 से प्राप्त करायी गयी है। साथ ही इसे पब्लिक डोमेन में प्रसारित करने निमित्त विभागीय Web Site पर अपलोड की गई है।

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2024-25) को राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना का पत्रांक-901, दिनांक-05.12.2025 से संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार सरकार, सरदार पटेल भवन, पटना, बिहार) को भी उपलब्ध करा दी गई है। निदेश है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु भी राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा अपनी

गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर NDSA, नई दिल्ली को एवं विधानमंडल के दोनों पटल पर प्रस्तुत करने हेतु विभाग को ससमय उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन :-प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना)।

3.3 प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि सभी निर्दिष्ट बाँधों का व्यापक बाँध सुरक्षा मूल्यांकण (CDSE) वर्ष 2026 तक किया जाना है। राज्य अवस्थिति कुल 34 अदद् निर्दिष्ट बाँधों में से 10 बाँधों का CDSE (1. खड़गपुर लेक डैम, 2. कोशी बराज, 3. गंडक बराज, 4. कोहिरा डैम, 5. दुर्गावती डैम, 6. सोन बराज, 7. बदुआ डैम, 8. चंदन डैम, 9. अपर किऊल डैम एवं 10. सतघरवा डैम) Dam Safety Review Panel द्वारा कराया जा चुका है। शेष बचे हुए 22 अदद् निर्दिष्ट बाँधों का CDSE (02 अदद् निर्माणाधीन निर्दिष्ट बाँध को छोड़कर) दिसम्बर 2026 तक क्रमगत तरीके से करा ली जाएगी। उक्त बाँधों के CDSE कराये जाने निमित्त उस पर व्यय होने वाली धनराशि राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना के अनुशंसा के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक कार्रवाई मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना द्वारा की जायेगी। साथ ही सभी संबंधित मुख्य अभियंता को डैमों/बराजों का वांछित अभिलेख/आलेख्य उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है।

इसी क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा जानकारी दी गई कि 3 अदद् निर्दिष्ट बाँधों (ओढ़नी, बिलासी एवं फुलवरिया) का CDSE हेतु 06.03.2026 से 09.03.2026 की तिथि निर्धारित की गई है। निदेश है कि क्रमबद्ध तरीके से Act में प्रावधानित तय समय-सीमा के अन्तर्गत ही निर्मित सभी निर्दिष्ट बाँधों का व्यापक बाँध सुरक्षा मूल्यांकण (CDSE) संपादित किया जाय।

(अनुपालन :-मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/नालन्दा बिहारशरीफ/गया/डिहरी, मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/वीरपुर, मुख्य अभियंता, यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, पटना, प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना)।

3.4 प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत् Regulation 54(2)(s) के अनुसार बिहार राज्य में अवस्थित सभी Non-Specified Dam का Unique ID के Nomenclature करते हुए Database तैयार किया जाना है। उक्त के अनुपालन में गैर-निर्दिष्ट बाँधों से संबंधित सूची प्राप्त करने हेतु संबंधित सभी विभाग को इस कार्यालय द्वारा निदेशित की गई है, जिसपर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में जल संसाधन विभाग द्वारा 149 गैर-निर्दिष्ट बाँधों की सूची एवं लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 33 गैर-निर्दिष्ट बाँधों की सूची प्राप्त करायी गई है। अन्य विभागों से गैर-निर्दिष्ट बाँधों की सूची अप्राप्त है, जिसपर अध्यक्ष, राज्य बाँध सुरक्षा समिति, बिहार, पटना द्वारा क्षोभ प्रकट किया गया। इसके संबंध में गैर-निर्दिष्ट बाँधों से संबंधित विभाग के मुख्य अभियंता/नामित पदाधिकारी को निदेश है कि यथाशीघ्र राज्य बाँध सुरक्षा संगठन को सूची प्राप्त करायी जाय। प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना को निदेश है कि गैर-निर्दिष्ट बाँधों के संबंधित विभाग से संपर्क स्थापित किया जाय एवं संबंधित विभाग को भी बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधान के संबंध में जागरूक किया जाय।

(अनुपालन :-अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/श्री रवि शंकर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना)।

3.5 प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि सभी निर्दिष्ट बाँधों का EAP (For Sunny Day Failure Condition) तैयार करने हेतु एक Template NDSA, New Delhi द्वारा प्राप्त करायी गई है, जिसे संबंधित Dam Safety Unit द्वारा DHARMA Portal पर upload किया जाना है। उक्त Template की अधिकांश प्रविष्टियाँ क्षेत्रीय स्तर पर भरा जाना है। जिसे भरने हेतु राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना का पत्रांक-132, दिनांक-12.02.2026 से सभी संबंधित मुख्य अभियंताओं को उपलब्ध करा दी गई है। क्षेत्रीय स्तर से भरे हुए Template प्राप्त होने के उपरान्त इसे अंतिम रूप से राज्य बाँध सुरक्षा संगठन द्वारा अनुमोदित कर संबंधित Dam Safety Unit द्वारा इसे DHARMA Portal पर upload करने की कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे में निदेश है कि संबंधित मुख्य अभियंता EAP (For Sunny Day Failure Condition) की Template की सभी प्रविष्टियों को भरकर यथाशीघ्र राज्य बाँध सुरक्षा संगठन को उपलब्ध करायी जाय। ताकि राज्य बाँध सुरक्षा संगठन द्वारा उक्त EAP की समीक्षा कर अग्रेत्तर कार्रवाई किया जा सके।

(अनुपालन :-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/नालन्दा बिहारशरीफ/गया/डिहरी/औरंगाबाद, मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/वीरपुर, प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना)।

3.6 प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि CWPRS, पुणे द्वारा कोशी बराज एवं गंडक बराज के Health Status का आकलन हेतु गतिविधि प्रारंभ करते हुए प्रथम Phase में दिनांक 02.12.2025 से 12.12.2025 तक कोशी बराज का एवं दिनांक 20.12.2025 से 29.12.2025 तक गंडक बराज का Qualitative Assessment of Distressed Structural Members by NDT (Non-Destructive Testing) किया गया है। शेष कार्य को भी अविलम्ब करने हेतु राज्य बाँध सुरक्षा संगठन द्वारा Hanumanthappa M.S., Scientist 'D' को email के माध्यम से Timeline की माँग की गई। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि Slot wise कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

संबंधित मुख्य अभियंता को निदेश है कि उक्त कार्य में Hanumanthappa M.S., Scientist 'D', CWPRS, पुणे को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना चाहेंगे।

(अनुपालन :-प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/वीरपुर/मुख्य अभियंता, यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, पटना)।

3.7 प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य में कुल 34 निर्दिष्ट बाँध है। उन 34 निर्दिष्ट बाँधों में से 13 निर्दिष्ट बाँधों पर कतिपय Studies किये गए/किये जा रहे है। साथ ही 15 अदद् निर्दिष्ट बाँधों का विभिन्न Studies हेतु Consultancy मूल्यांकण समिति द्वारा ToR/RFP पर सहमति प्रदान की गई, जिसके आलोक में 15 अदद् बाँधों का (04 Packages में) आवश्यक Studies हेतु EoI आमंत्रित किया गया, जिसमें 03 Package में 11-11 अदद् परामर्शियों द्वारा एवं 01 Package में 10 अदद् परामर्शियों द्वारा भाग लिया गया। प्राप्त अभिलेखों के जाँचोपरांत 04 विभिन्न-विभिन्न Package में 06 परामर्शी निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करते हुए पाये गए, जिन्हे RFP में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। RFP खुलने की निर्धारित तिथि 26.02.2026 है।

शेष बचे हुए 18 अदद् निर्दिष्ट बाँधों का (06 Packages में) आवश्यक Studies हेतु EoI आमंत्रित की गई है, जिसमें 04 Package में 11-11 अदद् परामर्शियों द्वारा एवं 02 Package में 9-9 अदद् परामर्शियों द्वारा भाग लिया गया। इसकी तुलनात्मक विवरणी तैयार की जा रही है।

निदेश है कि यथाशीघ्र परामर्शी का चुनाव कर आवश्यक Studies कार्य को आरंभ किया जाय।

(अनुपालन :-प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना)।

3.8 प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 एवं नये रेगुलेशन 54(2)(c) के अनुसार लॉगबुक के लिए एक नया प्रारूप जारी किया गया है। उक्त लॉगबुक की सभी entries को भरने हेतु बाँधों पर पर्याप्त Instrumentation का अधिष्ठापन होना आवश्यक है। उक्त के अनुपालन में निर्दिष्ट बाँधों पर पर्याप्त Instrumentation की अधिष्ठापन हेतु संबंधित सभी मुख्य अभियंताओं को इस कार्यालय द्वारा निदेशित की गई है, जिसपर प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में फुलवरिया, जॉब, कोलमहादेव, पुरैनी, ताराकोल, नागी, नकटी, कुण्डघाट, गंगाजी राजगृह जलाशय एवं गंगाजी गया जलाशय पर Instruments अधिष्ठापन कराये जाने संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही कैलाशघाटी, ओढ़नी, बिलासी, कोशी एवं गंडक बराज का Instrumentation से संबंधित प्राक्कलन तैयार करने की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त है। शेष बचे हुए 19 अद्द निर्दिष्ट बाँधों (कोहिरा, दुर्गावती, खड़गपुर झील, बदुआ, चंदन, जालकुण्ड, बासकुण्ड, बेलहरना, अमहरा डैम, मध्यागिरि डैम, डकरा जलाशय, आंजन, अपर किऊल, श्रीखण्डी, अमृति, मोरवे, सतघरवा, सोन बराज एवं पुनपुन बराज) पर Instrument अधिष्ठापन के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है कि जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है।

उक्त के आलोक में संबंधित मुख्य अभियंता को निदेश है कि प्राक्कलन तैयार कर संबंधित मोनिटरिंग को शीघ्र समर्पित किया जाय एवं तत्संबंधित कार्रवाई से राज्य बाँध सुरक्षा संगठन को भी अवगत करायी जाय।

(अनुपालन :-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/नालन्दा बिहारशरीफ/गया/डिहरी/औरंगाबाद, मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/वीरपुर)।

3.9 प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की 14(1) के प्रावधान के आलोक में 30 से अधिक निर्दिष्ट बाँधों वाले राज्य में राज्य बाँध सुरक्षा संगठन की अध्यक्षता मुख्य अभियंता द्वारा की जानी है। उक्त धारा के अनुपालन निमित्त राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना का संचालन हेतु मुख्य अभियंता स्तर के एक पृथक पद सृजित करने की आवश्यकता है। जिसके संदर्भ में राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना का पत्रांक-338, दिनांक-15.05.2025 से राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना हेतु मुख्य अभियंता स्तर का एक पृथक पद सृजित करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से की गई है।

संयुक्त सचिव, अभियंत्रण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निदेश है कि राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना हेतु मुख्य अभियंता (मुख्य अभियंता, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना) का एक पृथक पद सृजन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

(अनुपालन :-अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुकत सचिव, अभियंत्रण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना)।

3.10 प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे/अन्य संस्थानों द्वारा समय-समय पर डैम/बराज के सुरक्षा/संरक्षा से संबंधित Online एवं Offline mode में सेमिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की जाती है। ऐसे में सभी मुख्य अभियंता से अनुरोध किया गया है कि अपने अधीनस्थ सहायक अभियंता से अधीक्षण अभियंता तक के पदाधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु जब कभी भी राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना से नामित करने का अनुरोध किया जाय, तो यथाशीघ्र नामित करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय। कभी-कभी यह देखा गया कि प्रशिक्षण हेतु नामित पदाधिकारी का नाम क्षेत्रीय स्तर से विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय स्तर से अंतिम समय में प्रशिक्षुओं के नामांकन की स्वीकृति प्राप्त हो पाती है। ऐसे में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु गंतव्य स्थल का Tickets आदि प्राप्त करने में काफी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। साथ ही विभाग द्वारा नामांकन स्वीकृति के उपरान्त भी संबंधित संस्था द्वारा प्रशिक्षुओं का चयन प्रशिक्षण हेतु नहीं हो पाता है।

(अनुपालन :-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/नालन्दा बिहारशरीफ/गया/डिहरी/औरंगाबाद, मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/वीरपुर)।

3.11 प्रस्तुतीकरण के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि NDSA, नई दिल्ली द्वारा कभी-कभी 2-3 घंटे के अंदर ही डैम के संबंध में आँकड़ा/सूचना की माँग की जाती है, जिसका अनुपालन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण जल संसाधन विभाग, पटना के आँकड़ा/सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही संभव है। ऐसे में अध्यक्ष, राज्य बाँध सुरक्षा समिति, बिहार, पटना द्वारा सभी संबंधित मुख्य अभियंताओं को निदेश दिया गया कि राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना के द्वारा डैमो से संबंधित सूचना/आँकड़ा की माँग किया जाय तो तत्क्षण ही वह सूचना/आँकड़ा को प्राप्त करा दिया जाय।

(अनुपालन :-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/नालन्दा बिहारशरीफ/गया/डिहरी/औरंगाबाद, मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/वीरपुर, मुख्य अभियंता, यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, पटना, मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण जल संसाधन विभाग, पटना)।

3.12 अध्यक्ष, राज्य बाँध सुरक्षा समिति, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया कि बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुपालन हेतु Logbook का संधारण किया जाना अनिवार्य है। ऐसे में सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को निदेश है कि डैमों का जलस्तर मॉनसून अवधि में प्रत्येक 1-1 घंटे पर एवं गैर-मॉनसून अवधि में दैनिक रूप से संधारित किया जाय। साथ ही मॉनसून अवधि में Inflow, outflow, Seepage, Leakage (Dam body) एवं Average Rainfall (Dam site) को भी दैनिक रूप से संधारित करते हुए तत्संबंधी सूचना SDSO को दी जाय।

(अनुपालन :-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/नालन्दा बिहारशरीफ/गया/डिहरी/औरंगाबाद, मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/वीरपुर)।

3.13 अध्यक्ष, राज्य बाँध सुरक्षा समिति, बिहार, पटना द्वारा सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को निदेश दिया जाता है कि मॉनसून अवधि के प्रारम्भ होने के पूर्व एवं समाप्ति के उपरान्त डैम के Crest का Level लेकर संधारित करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाय। साथ ही जब कभी वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी बाँधों का निरीक्षण करें तो उक्त Level की समीक्षा निश्चित रूप से कर लें। समीक्षा के उपरान्त यदि Crest की वर्तमान Level एवं रूपांकित Level में किसी भी प्रकार की abnormality परिलक्षित हो तो आवश्यक सुधारात्मक उपाय करते हुए तत्क्षण ही इसकी सूचना SDSO को दी जाय।

(अनुपालन :-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/नालन्दा बिहारशरीफ/गया/डिहरी/औरंगाबाद, मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/वीरपुर)।

3.14 अध्यक्ष, राज्य बाँध सुरक्षा समिति, बिहार, पटना द्वारा सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने परिक्षेत्राधीन नवनिर्मित्त निर्दिष्ट बाँध अथवा निर्मित्त किये जाने वाले निर्दिष्ट बाँध पर बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 32(1), 33(1), 34(1), 35(1)(a), 35(1)(b), 35(1)(d) एवं 35(1)(f) के अन्तर्गत आवश्यक Instrumentation का प्रावधान निश्चित रूप से किया जाय। साथ ही डैम के कार्यो के साथ-साथ ही Instrumentation का भी अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाय।

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता अपने-अपने परिक्षेत्राधीन नवनिर्मित्त निर्दिष्ट बाँधों का Initial filling, NDSA, नई दिल्ली द्वारा जारी SOP में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जाय।

(अनुपालन :-जल संसाधन विभाग के सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता)।

3.15 बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के आलोक में बिहार राज्य में भी राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO) का गठन WRD के अन्तर्गत किया गया है। अध्यक्ष, राज्य बाँध सुरक्षा समिति, बिहार, पटना द्वारा ऐसा महसूस किया गया कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए SDSO का गठन राज्य में हुआ है, उस SDSO के बारे में अभी भी क्षेत्रीय पदाधिकारियों में व्यापक जानकारी का अभाव है। ऐसे में आवश्यक है कि डैम/बराज/वीयर से संबंधित क्षेत्रीय स्तर तक के सभी पदाधिकारी को बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की विभिन्न प्रावधानों की जानकारी रहनी चाहिए, ताकि अधिनियम में प्रावधानित कार्यो को ससमय संपादित किया जा सके एवं अधिनियम में उल्लेखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

ऐसे में निदेश है कि सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के विभिन्न कंडिकाओं से अवगत होते हुए अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के विभिन्न कंडिकाओं से अवगत होने हेतु निदेशित करना चाहेंगे।

(अनुपालन :-जल संसाधन विभाग के सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता)।

बैठक में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन उपस्थित सभी अधिकारियों को प्रभारी प्रमुख एवं निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना के द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक को संपन्न की गई।

(अवधेश कुमार)
अध्यक्ष
राज्य बाँध सुरक्षा समिति, बिहार, पटना।

पत्रांक:-रा0बाँ0सु0सं0/कार्य-07/2026(भाग-II)-171 पटना, दिनांक:- 27 /02/2026

प्रतिलिपि:-1. प्रधान सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

2. श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. अध्यक्ष, राज्य बाँध सुरक्षा समिति, बिहार, पटना।
4. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
5. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहारशरीफ -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
7. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, गया -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
8. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
9. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
10. निदेशक, मोनिटरिंग, केन्द्रीय जल आयोग, पटना, बिहार (केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा नामित) -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
11. डॉ0 ओम प्रकाश, सहायक प्राध्यापक, पर्यावरण एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आई0आई0टी0, पटना -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
12. डॉ0 विशाल देशपाण्डेय, सहायक प्राध्यपक, पर्यावरण एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आई0आई0टी0, पटना -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
13. प्रो0 रामाकर झा, प्राध्यपक, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एन0आई0टी0 पटना -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
14. निदेशक, जल विद्युत मूल्यांकन प्रभाग (HPAD), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली, (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नामित) -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
15. मुख्य अभियंता, गंडक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गोरखपुर, (उत्तरप्रदेश) -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
16. मुख्य अभियंता, गंगा कछार, बाणसागर परियोजना, जल संसाधन विभाग, रीवा, मध्यप्रदेश, -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
17. मुख्य अभियंता, पी0एस0, उत्तरप्रदेश, एस0एल0डी0सी0, लखनऊ -सह- सदस्य (SCDS), पटना।
18. अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
19. अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना।
20. निदेशक, भूमि संरक्षण (कृषि विभाग), बिहार, पटना।
21. सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग।
22. श्री सदय कुमार सिन्हा, सरकार के अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
23. श्री रवि शंकर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2026

(महमूद आलम)
प्रभारी प्रमुख
राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना।
-सह-
सदस्य सचिव
राज्य बाँध सुरक्षा समिति, बिहार, पटना।

पत्रांकः-रा0बाँ0सु0सं0/कार्य-07/2026(भाग-II)-171 पटना, दिनांकः- 27 /02/2026

प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियंता, आई0टी, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेब साईट पर 7वीं बैठक (मॉनसून पश्चात्) की Minutes को अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/2/2026

(महमूद आलम)
प्रभारी प्रमुख
राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना।
-सह-
सदस्य सचिव
राज्य बाँध सुरक्षा समिति, बिहार, पटना।